

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 336/13
संस्थापन दिनांक:-10/09/13
फाईलिंग नं. 233504001252013

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

नामदेव पिता महादेव,
 उम्र 42 वर्ष, निवासी उमरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 02.09.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 07.09.2013 को दिन 04:30 बजे या उसके ग्राम उमरिया मेघनाथ मोहल्ला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10½ इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 07.09.2013 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को ग्राम भ्रमण के दौरान जरिऐ टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त ग्राम उमरिया में अवैध रूप से छुरी लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर उसने मौके पर जाकर घेराबंदी कर अभियुक्त को हाथ में लोहे की धारदार छुरी रखे पकड़कर छुरी जप्त की तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 301/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.09.2013 को दिन 04:30 बजे या उसके ग्राम उमरिया मेघनाथ मोहल्ला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10½ इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 07.09.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को सरपंच वीरसिंह द्वारा एक लेखीय आवेदन देकर बताया कि अभियुक्त ग्राम उमरिया में जान से मारने की धमकी दे रहा है एवं गुप्ती लेकर घूम रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसने साक्षीगण की मदद से अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़कर उससे एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-3) का जप्ती पत्रक तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाने वापस आकर अपराध क्र. 301/13 में (प्रदर्श प्री-8) की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी ने प्रकरण में संलग्न रवानगी एवं वावसी सान्ही की प्रति प्रदर्श प्री-9 एवं प्रदर्श प्री-10 को भी प्रमाणित किया है।

6 वीरसिंह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त उसे मां बहन की गाली दे रहा था उसके बाद उसकी कॉलर पकड़ लिया था जिसकी लिखित शिकायत उसने थाने में की थी। उक्त साक्षी ने लिखित शिकायत (प्रदर्श प्री-1) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त नामदेव हाथ में लोहे की छुरी रखा था और लोगों को डरा रहा था। विश्वजीतसिंह (अ.सा.-5) ने यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वीरसिंह (अ.सा.-1) के साथ विवाद कर रहा था तथा हाथ में लोहे की छुरी लिये घूम रहा था और लोगों को डरा रहा था।

7 आनंदराव कोसे (अ.सा.-2) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षर होना प्रकट किया है परंतु अपने समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही से इनकार किया है। महेंद्रसिंह परमार (अ.सा.-3) ने गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षर होना प्रकट किया है परंतु अभियुक्त तो अपने समक्ष गिरफ्तार किये जाने से इनकार किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर भी अपने हस्ताक्षर होना बताया है लेकिन साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि उसके सामने अभियुक्त से लोहे की धारदार छुरी जप्त की गयी थी।

8 वीरसिंह (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 6 में यह बताया है कि उसने पुलिस को टेलीफोन पर सूचना दी थी कि अभियुक्त लोहे की धारदार छुरी लिये लोगों को डरा रहा है। साथ ही इसी पैरा में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसकी अभियुक्त से कोई रंजिश नहीं है परंतु यह भी सही होना बताया है कि वह अभियुक्त को तीन बार जेल में बंद करवा चुका है। विश्वजीतसिंह (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से कोई हथियार जप्त नहीं किया था। आनंदराव कोसे (अ.सा.-2) एवं महेंद्रसिंह परमार (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

9 वीरसिंह (अ.सा.-1) ने अभियुक्त द्वारा उसकी मारपीट एवं गाली गलौच किये जाने पर थाने पर शिकायत किया जाना बताया है। वहीं उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में फोन पर थाने में यह सूचना दी जाना बता रहा है कि अभियुक्त चाकू छुरी लिये घूम रहा है। उक्त साक्षी के समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की गयी है तथा उक्त साक्षी के कथनों से ऐसा भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके समक्ष कोई कार्यवाही की गयी हो। विश्वजीतसिंह (अ.सा.-5) ने भी अभियुक्त द्वारा वीरसिंह (अ.सा.-1) के साथ विवाद होना बताया है तथा अभियुक्त द्वारा छुरी लिये घूमना भी बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से हथियार जप्त किये जाने से इनकार किया है। इस तरह से उक्त साक्षी अपने कथनों पर ही स्थिर नहीं है जिससे उन पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

10 प्रकरण में साक्षी वीरसिंह (अ.सा.-1) एवं विश्वजीतसिंह (अ.सा.-5) विश्वसनीय नहीं पाये गये हैं तथा साक्षी आनंदराव (अ.सा.-2) एवं महेंद्रसिंह परमार (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर एकमात्र विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-4) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर. 1973 एससी 2783** अवलोकनीय है जिसके अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के

आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

11 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने सरपंच वीरसिंह (अ.सा.-1) के द्वारा लिखित आवेदन पर प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम उमरिया में जाकर साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त नामदेव से लोहे की धारदार छुरी जप्त किया जाना, उसे गिरफ्तार किया जाना एवं तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना प्रकट किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 3 में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने साक्षी महेंद्र एवं आनंदराव के समक्ष अभियुक्त से हथियार की जप्ती नहीं की थी तथा पैरा क्र. 4 में यह भी गलत होना बताया है कि जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष सील नहीं किया गया परंतु इस सुझाव को सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक में नमूना सील अंकित नहीं है। स्वतः में उक्त साक्षी ने कहा है कि मौके पर नमूना सील उपलब्ध नहीं थी तथा पैरा क्र. 6 में यह बताया है कि उसे टेलीफोन पर पहले सूचना मिली थी उसके बाद फरियादी स्वयं थाने आ गया था तथा यह भी सही होना बताया है कि उसने विवेचना के दौरान अभियुक्त से कोई गुप्ती जप्त नहीं की थी।

12 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने वीरसिंह (अ.सा.-1) के द्वारा दिनांक 07.09.2013 को प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुंचना बताया है। वीरसिंह (अ.सा.-1) के द्वारा थाने में प्रस्तुत किये गये लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित है कि दिनांक 06.09.2013 को अभियुक्त उसके साथ गाली गलौच एवं मारपीट करने हेतु घर में घुसा था और गुप्ती लेकर गांव में खुलेआम घूम रहा था। जबकि बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने दिनांक 07.09.2013 को उक्त आवेदन के आधार पर प्राप्त सूचना पर मौके पर जाकर अभियुक्त से एक धारदार छुरी जप्त करना बताया है। स्पष्टतः जहां प्रदर्श प्री-1 के आवेदन से अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.09.2013 को गुप्ती लेकर घूमना प्रकट हो रहा है वहीं उक्त आवेदन के आधार पर विवेचक के द्वारा दिनांक 07.09.2013 को अभियुक्त से छुरी जप्त की गयी है जो कि सूचना के आधार को ही संदेहास्पद बनाता है। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-4) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरान्त उक्त प्रपत्र तैयार किये गये होंगे। साथ ही विवेचक साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उसने जप्तशुदा आयुध की नाप जोख किससे की थी जिससे कि यह प्रकट हो कि जप्तशुदा आयुध अधिसूचना में वर्णित प्रतिषिद्ध आकार प्रकार का है अथवा नहीं। इस प्रकार एकमात्र विवेचक साक्षी के कथनों के आधार पर युक्तियुक्त संदेह परे कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

13 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.09.2013 को दिन 04:30 बजे या उसके ग्राम उमरिया मेघनाथ मोहल्ला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10½ इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त नामदेव को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)